न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 116/2025

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा अंकित किराणा स्टोर के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 8.01.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1971—72 बांग्लादेश शरणार्थी पुनर्वास योजना के तहत (दादाजी का पूरा नाम) को देवली टाउन (टोंक जिला, राजस्थान) में आवंटित घर /प्लाट का रिकॉर्ड प्रदान करें। कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएँ:

1. आवंटन पत्र (Allotment Letter) या जमाबंदी/ खाता विवरण।
2. संपत्ति का पत्ता, खसरा नंबर (यदि लागू), और वर्तमान कब्जा स्थिति।
3. यदि संपत्ति पर अतिक्रमण है, तो उसका विवरण और कार्रवाई का रिकॉर्ड। संलग्न दस्तावेजः —1980 का DM सिटिजनशिप सर्टिफिकेट (नंबरः (यदि हो))। — 1970 का बॉर्डर स्लिप। सूचना की समय सीमाः 1971 से 1980 तक।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2387 दिनांक 08.12.2025, 2458 दिनांक 18.12.2025 व 2499 दिनांक 30.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1225 दिनांक 23.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से होने से उनके पत्र कमांक 1028 दिनांक 04.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 5675 दिनांक 4.12.2025 से जवाब प्रेषित किया। प्रेषित जवाब को पत्र कमांक 1210 दिनांक 13.12.2025 से अपीलार्थी को भिजवाया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

78।